रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270] नई दिल्ली, सोमवार, जून 11, 2012/ज्येष्ठ 21, 1934

No. 270] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 11, 2012/JYAISTHA 21, 1934

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2012

सा.का.नि. 438(अ).—कतिपय प्रारूप नियम जो, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 2 के साथ पठित व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 157 की उप-धारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग) की अधिसूचना सा.का.नि. 344 तारीख 19 दिसम्बर, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसमें ऐसे व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, पन्द्रह दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व, आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां, जनता को 24 दिसम्बर, 2011 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार को कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 157 की उप-धारा (2) के खंड (29) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2012 है ।

(2) ये, 1 जनवरी, 2006 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 के नियम 3 में, "अध्यक्ष, प्रतिमास तीस हजार रुपए का वेतन पाने का हकदार होगा; उपाध्यक्ष प्रतिमास छब्बीस हजार रुपए का वेतन पाने का हकदार होगा; और अन्य सदस्य प्रतिमास बाईस हजार चार सौ रुपए-पांच सौ पच्चीस-चौबीस हजार पांच सौ रुपए के वेतनमान के हकदार होंगे" शब्दों के स्थान पर , "अध्यक्ष, प्रतिमास नब्बे हजार रुपए का वेतन पाने का हकदार होगा; उपाध्यक्ष, प्रतिमास अस्सी हजार रुपए का वेतन पाने का हकदार होगा; और अन्य सदस्य, प्रतिमास पे बैंड (एच ए जी) में-सड़सठ हजार रुपए- [तीन प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि]-उनासी हजार रुपए के वेतनमान के हकदार होंगे" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 7(7)/2009-आईपीआर आई. (आईपीएबी)]

डी. वी. प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र में संख्या सा.का.नि. 740(अ), तारीख 15 सितम्बर, 2003 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात्, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 744(अ), तारीख 23 दिसम्बर, 2005 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

छटे वेतन आयोग की सिफारिश के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा यथास्वीकृत पुनरीक्षित वेतन संरचना को कानूनी और स्वशासी निकायों के कर्मचारियों पर भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन तारीख 30 सितम्बर, 2008 द्वारा 1 जनवरी, 2006 से विस्तारित भी किया गया है, अत: 1 जनवरी, 2006 से, इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने का प्रस्ताव किया गया है । इसके अतिरिक्त, ये नियम, बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तकनीकी सदस्यों को 1 जनवरी, 2006 से, संदेय पुनरीक्षित वेतन नियत करता है । यह प्रमाणित किया जाता है कि कोई व्यक्ति, इन नियमों के भूतलक्षी प्रभाव देने से, प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुआ है ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2012

G.S.R. 438(E).—Whereas certain draft rules were published, as required under sub-section (1) of Section 157 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999), read with Section 2 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) number G.S.R. 344 dated the 19th December, 2011, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of fifteen days from the date on which copies of the Official Gazette containing the notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public on the 24th December, 2011;

And whereas, no objections and suggestions were received by the Central Government;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (xxix) of sub-section (2) of Section 157 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Intellectual Property Appellate Board (Salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the Intellectual Property Appellate Board (Salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of the Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2012.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2006.

2. In rule 3 of Intellectual Property Appellate Board (Salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of the Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 2003, for the words : "The Chairman shall be entitled to a pay of rupees thirty thousand per month; the Vice-Chairman shall be entitled to a pay of rupees twenty-six thousand per month and other Members shall be entitled to a pay in the scale of rupees twenty-two thousand four hundred -five hundred twenty five- twenty-four thousand five hundred", the words "The Chairman shall be entitled to a pay of rupees ninety thousand per month; the Vice-Chairman shall be entitled to a pay of rupees eighty thousand per month and other Members shall be entitled to pay in the pay band (HAG)-rupees sixty seven thousand-[annual increment at the rate of three per cent]-rupees seventy nine thousand" shall be substituted.

[F. No. 7(7)/2009-IPR.I (IPAB)]

D. V. PRASAD, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 740(E), dated the 15th September, 2003 and subsequently amendment *vide* notification number G.S.R. 744(E), dated the 23rd December, 2005.

Explanatary memorandum

The revised pay structure as accepted by the Government consequent upon the recommendation of the 6th Pay Commission has also been extended to the employees of statutory and autonomous bodies with effect from the first day of January, 2006 *vide* Government of India's Office Memorandum dated the 30th September, 2008 hence it is proposed to give retrospective effect to these rules form 1st January 2006. Further, these rules stipulate revised salary payable to Chairman, Vice-Chairman and Technical Members of Intellectual Property Appellate Board with effect from the 1st January, 2006. It is certified that no person is being affected adversely by giving this rules with retrospective effect.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.